प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड़ को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है।

डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड़ के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2018/44–46 दिनांक 21.03.18 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विशलेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. 131/एफ.एस.एस.ए./कोटा एक्ट/2018/172 दिनांक 15.03.18 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विकय किया गया, खाद्य प्रदार्थ चाय पत्ती पताका स्पेशल लीफ टी रिपोर्ट में मिसब्राण्ड होना पाया गया है जिसकी सूचना गैर सायलान को अधिनियम की धारा 46(4) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड डाक द्वारा पुनः जॉच करवाने हेतु दी गई, जिसके विरूद्व कोई अपील प्राप्त नही हुई, जॉच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन मे यह भी कथन किया है कि अभिहित अधिकारी एवं चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी झालावाड द्वारा अपने पत्र कमांक एफएसएस/2018/102 दिनांक 06.06.2018 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण मे न्याय निर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है। इसी के साथ निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में गैरसायलान ने खाद्य पदार्थ चाय पत्ती पताका स्पेशल लीफ टी मिसब्राण्ड का विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (11) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायलान को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं नोटिस मे नियत दिनांक एवं समय पर अम्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान किया गया। गैर सायलान की ओर से विद्वान वकील श्री मयंक गुप्ता द्वारा वकालत नामा प्रस्तुत कर जवाब पेश करने हेतु अवसर चाहा गया–जिन्हे प्रयाप्त अवसर प्रदान के बावजूद भी उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत नही किया गया ओर ना ही निर्धारित दिनांक को न्यायालय में उपस्थित हुवे इसलिए प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही करते हुवे बहस पेराकार सरकार सुनी गई आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्य की पुष्टि मे सलग्न किये गये दस्तावेजो की ओर ध्यान आकर्षित करते हुऐ कथन किया कि गैरसायलान द्वारा खाद्य पदार्थ चाय पत्ती पताका स्पेशल लीफ टी मिसब्राण्ड का विकय किया जाना पत्रावली पर उपलब्ध खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट से साबित होता है। आवेदन किये जाने हेतु पदाभिहित अधिकारी से प्राप्त लिखित प्राधिकार भी आवेदन के साथ सलग्न किया गया है। गैर सायलान से अवमानक खाद्य पदार्थ चाय पत्ती पताका स्पेशल लीफ टी मिसब्राण्ड के नमूने लिये जाने की कार्यवाही से सबधित दस्तावेज भी आवेदन के साथ सलग्न किये गये है। उक्त सभी दस्तावेजो से साबित होता है कि गैर सायलान द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ चाय पत्ती पताका स्पेशल लीफ टी मिसब्राण्ड का भण्डारन एवं विकय किया गया है। अतः इस्तगासा स्वीकार फरमाया जाकर गैर सायलान को ज्यादा से ज्यादा जुर्माने से दण्डित किया जावे ताकि आम जनता को बेचान हो रहे मिथ्या छाप खाद्य पदार्थ पर अंकुश लग सके।

हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया तथा। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन की पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टिया होती है। गैर सायलान द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ चाय पत्ती पताका स्पेशल लीफ टी मिसब्राण्ड का विकय किया जाना सन्देह से परे साबित है। फूड एनालिस्ट की जॉच रिपोर्ट अनुसार गैर सायलान का यह कृत्य एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 3(1)(जेड.एफ.)(सी)(आई) के प्रावधानों के उल्लंघन की श्रैणी है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में है, जिसके लिए जुर्माने का दण्ड अधिनियम की धारा 52 मे उपबन्धित किया गया है। उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुऐ गैर सायल नं0 1 अखिलेश कुमार को 10000/–(अक्षरे दस हजार रूपये) व गैर सायल नं0 2 दिनेश सेन नॉमिनी जी–2 नारायण धाम हरनाथपुरा निवारू रोड झोंटवाड़ा जयपुर को 15000/–(अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये) के जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियमानुसार उक्त राशि वसूली की कार्यवाही कर जुर्माना राशि राजकोष में जमा करा चालान की प्रति न्यायालय में पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 20.12.18 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया। निर्णय की प्रति शामिल पत्रावली रहे।

20/12/18

(रामचरण शर्मा)
न्यायनिर्णायक अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)

निर्णय बईजलास रामचरण शर्मा, आर.ए.एस.,न्यायनिर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

दायरा 19.06.18

प्रकरण सख्याः—41/18

रामनारायण गूर्जर खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़

प्रार्थी......................

बनाम

1. अखिलेश कुमार आ0 सुरेश कुमार विकेता एवं मालिक आदेश्वर ट्रेनिग कम्पनी कुण्डला रोड चोमहेला
2. दिनेश सेन नॉमिनी जी—2 नारायण धाम(II)प्लाट नं0 99 शिवनगर—ए हरनाथपुरा निवारू रोड झोटवाड़ा जयपुर।

गैर सायलान................

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(11)एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 नियम 2011

उपस्थित— 1— पेरोकार सरकार

दिनांकः— 20.12.18

—: आदेश :—

श्री रामनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मैं खाद्य विभाग की अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक /एच/पीएफए/ नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियॉ प्रयुक्त करने कि लिए अधिकृत किया गया हूँ। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वा0 सेवायें राज0 जयपुर के आदेश क्रमांक/एच/पी.एफ.ए./नोटिफिकेशन/2011/475 दिनांक 10.08.2011 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधि0 झालावाड़ द्वारा आवंटित किया गया है और झालावाड़ जिलें के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्यक्षेत्र में आते है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने आवेदन मे आगे वर्णित किया गया कि दिनांक 18.02.18 को समय 4.00 बजे मय टीम के मैसर्स आदेश्वर ट्रेडिंग कम्पनी कुण्डला रोड चोमहेला पर निरीक्षण के लिये पहूँचा वहा पर अखिलेश कुमार जैन आ0 सुरेशकुमार विकेता एवं मालिक खाद्य पदार्थ चाय पत्ती पताका स्पेशल लीफ टी का विकय का कार्य कर रहे थे, वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/खाद्य व्यवसाय रजिस्ट्रेशन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया। निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु खाद्य पदार्थ जो कि दुकार के फर्श पर 82 पेकिट 500—500 ग्राम के विक्रय हेतु रखे गये थे जो आम जनता को बेचान की जा रही थी। उसमें मिलावट का संदेह होने पर 500 ग्राम के चाय पत्ती पताका स्पेशल लीफ टी के चार पैकेट वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय की, जिसकी कीमत विक्रेता को रु 380/— नगद देकर वास्तें नमूना जांच हेतु खरीदा जिसकी रसीद प्राप्त की जो इस्तगासे के साथ संलग्न है। मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रति तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे अखिलेश कुमार विकेता एवं मालिक, ने भी पढ़कर सुनकर एवं समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये, फार्म संख्या 5 ए की एक प्रति अखिलेश को देकर रसीद प्राप्त की। फार्म संख्या 5ए इस्तगासे के साथ संलग्न है। खरीदशुदा खाद्य प्रदार्थ चाय पत्ती पताका स्पेशल लीफ टी के 500—500 ग्राम के 4 मुल पैक को लेकर प्रत्येक पर लेबल चिपकायें व खाध पदार्थ का विवरण एवं डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक वी—935 नमूना लेने की दिनांक ,स्थान दर्ज किया तथा प्रत्येक लेबल पर स्वंय ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर करायें। नमूना भागों को अलग—2 खाकी कागज में लपेट कर दोनो किनारो को गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक पेपर स्लिप नं. वी—935 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया। मौके पर नियमानुसार कार्यवाही कर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता एवं गवाहान ने पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं मैने हस्ताक्षर किये,फर्द रिपोर्ट की प्रति इस्तगासे के साथ संलग्न है। कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की 6 प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर एवं दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बन्द कर चपडी से सील मोहर कर जगदीशप्रसाद शर्मा च0श्रे0क0 द्वारा श्रीमान मुख्य खाद्य विशलेषक कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो इस्तगासे के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की

(1)

20/12/18

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज0)

P.T.O.